UPAU120026592025

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिधूना, औरैया।

पीठासीन अधिकारीः–(कुशाग्र मिश्र) उ0प्र0 न्यायिक सेवा–UP4693

दाण्डिक वाद संख्या–1893/2025

राज्य बनाम आकाश दीक्षित आदि।

मु0अ0सं0–149/2023
धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0
थाना–बेला, जिला औरैया।

दिनांक–06.06.2026

1. पत्रावली आदेशार्थ नियत है। वादी मुकदमा **नलनीश पाण्डेय उर्फ कल्लन** एवं अभियुक्तगण **आकाश दीक्षित व नीशू उर्फ बन्दना** के विद्वान अधिवक्तागण को समझौतानामा दिनांकित 27.05.2026 मय शपथ पत्र पर सुना जा चुका है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में शामिल एक अभियुक्त विकास पुत्र शिवदयाल की मृत्यु हो चुकी है तथा उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमें की कार्यवाही दिनांक 04.04.2026 को उपशमित की जा चुकी है।

2. वादी मुकदमा नलनीश उर्फ कल्लन व अभियुक्तगण आकाश दीक्षित एवं वन्दना उर्फ नीशू की ओर से समझौतानामा दिनांकित 27.05.2026 इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में पक्षकारों के मध्य चन्द भले व्यक्तियों व पारिवारिक सदस्यों के बीच में पड़ जाने के कारण समझौता हो गया है, जिस कारण हम पक्षकारान मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त प्रकरण को समझौतानामा के आधार पर निर्णीत करने की कृपा करें।

3. पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्तगण आकाश दीक्षित, नीशू उर्फ बन्दना एवं विकास के विरूद्ध आरोप पत्र, मु0अ0सं0–149/2023, अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 में थाना बेला पुलिस द्वारा न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया। दौरान विचारण अभियुक्त विकास की मृत्यु हो गयी, जिस कारण अभियुक्त विकास के विरुद्ध वाद की कार्यवाही दिनांक 04.04.2026 को उपशमित की जा चुकी है। वादी द्वारा समझौतानामा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उक्त प्रकरण में पक्षकारों के मध्य चन्द भले व्यक्तियों व पारिवारिक सदस्यों के बीच में पड़ जाने के कारण समझौता हो गया है, जिस कारण हम पक्षकारान मुकदमा लड़ना नहीं चाहते हैं। जिस कारण उक्त मुकदमें की कार्यवाही इस स्तर पर समाप्त किये जाने की याचना की गई है। चूंकि वादी स्वयं पीड़ित है और उक्त प्रकरण को समझौतानामा के आधार पर निर्णीत किये जाने की प्रार्थना की गयी है। समझौतानामा पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया, जिसे उनके द्वारा स्वीकार किया गया। समझौतानामा वादी व अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय के समक्ष तस्दीक किया गया। उभयपक्ष द्वारा अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु आधारकार्ड की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही धारा–320 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत उपशमित किये जाने योग्य है। तद्नुसार पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा दिनांकित 27.05.2026 स्वीकार किये जाने योग्य है।

Digitally signed by KUSHAGRA MISHRA
Date: 2026.06.06 14:31:11 IST
Reason: Order
Location: CJJD/JM Outlying Court, Bidhuna

<u>आदेश</u>

पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा दिनांकित 27.05.2026 स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण की कार्यवाही धारा–320 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत उपशमित की जाती है। अभियुक्तगण आकाश दीक्षित व नीशू उर्फ बन्दना को दाण्डिक वाद संख्या–1893/2025, मु0अ0सं0–149/2023, राज्य बनाम आकाश दीक्षित आदि, अन्तर्गत धारा 323, 504, 506 भा0दं0सं0 थाना बेला, जिला औरैया के मामले में दोषमुक्त किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–06.06.2026

(कुशाग्र मिश्र)
सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0,
बिधूना, औरैया।
J.O. Code : UP4693